

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधि सूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 18.12.2015

सं०-14/प्र० 103/2012-शा०प्र०- ~~17503~~ / वित्त विभाग की संकल्प सं० 7566 दिनांक - 14.7.10 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010" के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने अंकित तिथि से पे-बैंड ₹ 15,600-39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/-में द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	कोटि क्रमांक वर्ष 2011 का	द्वितीय रू० सु० वृत्ति उन्नयन की देय तिथि
1	2	3	4
1.	श्री केदार नाथ	305	01.01.09
2.	श्री सोहन कुमार ठाकुर	311	12.12.09
3.	श्री जय नारायण झा	313	01.01.09
4.	श्री जीतेन्द्र कुमार सिंह	318	14-05-11
5.	श्री सुरेश प्रसाद साह	323	01.01.09
6.	श्री प्रेम प्रकाश शर्मा	333	01.01.09
7.	श्री अशोक कुमार झा	334	01.01.09
8.	श्री बृज राज राय	336	01.01.09
9.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	343	01.01.09
10.	श्री रामप्रकाश सिंह	350	01.01.09
11.	श्री रवीन्द्र कुमार गुप्ता	352	01.01.09
12.	श्री राज किशोर प्रसाद	358	01.04.11
13.	श्री रामाशीष राम	365	01.01.09
14.	श्री हाकीम प्रसाद	368	01.01.09
15.	स्व० विनय शरण वर्मा	376	01.01.09

202
18/12/15

16.	स्व० कमलेश कुमार पाठक	384	01.01.09
17.	श्री ज्ञान शंकर दास	393	01.01.09
18.	श्री नागेन्द्र कुमार सिंह	401	01.01.09
19.	श्री पुरुषोत्तम ओझा	405	01.06.13
20.	श्री सुरेश कुमार सिन्हा	408	01.01.09
21.	श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी	409	01.01.09
22.	श्री रविकांत तिवारी	410	04.03.11
23.	श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा	413	01.01.09
24.	श्री दशरोगा यादव	419	01.01.09
25.	श्री जयनाथ महतो	423	01.04.13
26.	श्री कन्हैया प्रसाद	428	01.01.09
27.	श्री प्रदीप कुमार	431	01.01.09
28.	श्रीमती मधुरानी ठाकुर	433	01.01.09
29.	श्री एनामुल हक सिद्दीकी	447	16.5.09
30.	श्री सुभाष चन्द्र झा	450	15.5.09
31.	श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा	453	15.5.09
32.	श्री ईश्वर चन्द्र सिन्हा	462	14.06.09
33.	श्री ऋषिकेश शर्मा	467	15.5.09
34.	श्री अरुण कुमार सिंह	479	15.5.09
35.	श्री मुकेश दत्त शर्मा	481	01.8.09
36.	श्री अशोक कुमार सिंह	482	15.5.09
37.	श्री राम अनुग्रह नारायण सिंह	490	15.5.09
38.	श्री वजैनुद्दीन अंसारी	493	15.5.09

20/8/15


39.	श्री दिलीप कुमार	495	19.7.09
40.	श्री राम रूप प्रसाद	498	15.5.09
41.	श्री ओम प्रकाश प्रसाद	499	18.5.09
42.	श्रीमती रेखा कुमारी	509	23.06.12
43.	श्रीमती इन्दु सिंह	511	15.5.09

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन नियतिकरण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के परिशिष्ट-1 के नियम 4 के अनुसार किया जाएगा ।

3. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-3637 दिनांक-10.04.2013 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर लिखित रूप से महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को देना अनिवार्य होगा ।

4. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ संबंधी आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(अनिल कुमार)


सरकार के अपर सचिव ।

झापांक-14/प्रो० 103/2012-सा०प्र०-...17503.../

पटना-15, दिनांक- 18.12.15

प्रतिलिपि : ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार बिहार, पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिपरिषद् के बैठक दिनांक-15.12.2015 के मद सं०-02 के आलोक में उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को / प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सी०डी० तैयार कर वित्त विभाग, बिहार, पटना को भेजने हेतु / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,8,12 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. महालेखाकार, बिहार/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वित्त विभाग की संकल्प सं० 7566 दिनांक 14.7.10 के अन्तर्गत निर्धारित सुसंगत प्रावधानों एवं संबंधित परिपत्रों में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतनपुर्जा निर्गत किया जाय ।


सरकार के अपर सचिव ।